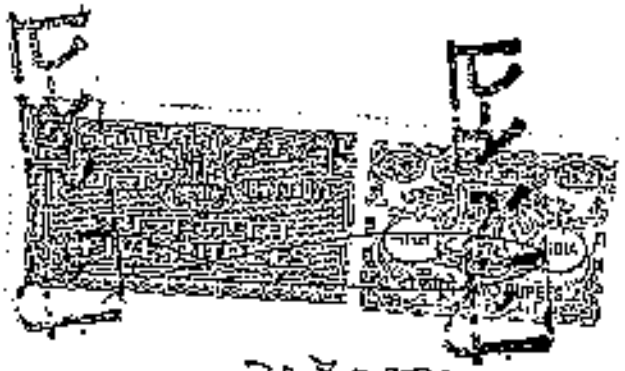

523
08-5-17

247-...

प्रतिलिपि आदेश दिनांक-08-5-2015 एकपक्षीय पारित न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0 वाद संख्या 155 ग्राम-अमवाखुर्द परगना-खण्डासा, तहसील-मिल्कीपुर जिला-फैजाबाद ... बनाम श्री रामजानकी बनाम सरकार आदि निर्णय दि0 08-5-2015 ई0

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद

नकल संख्या ......
प्रार्थना-पत्र देने की तारीख 08-5-17
नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख 12-5-17
नकल जारी करने की तारीख 12-5-17
कुल पृष्ठ ......
नकल जारी करने वाले का हस्ताक्षर

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर जनपद-अयोध्या

नोट: नीचे कोई अन्य प्रमाणित कागजात संलग्न नहीं

सत्यप्रतिलिपि
प्रमाणित
30-6-17

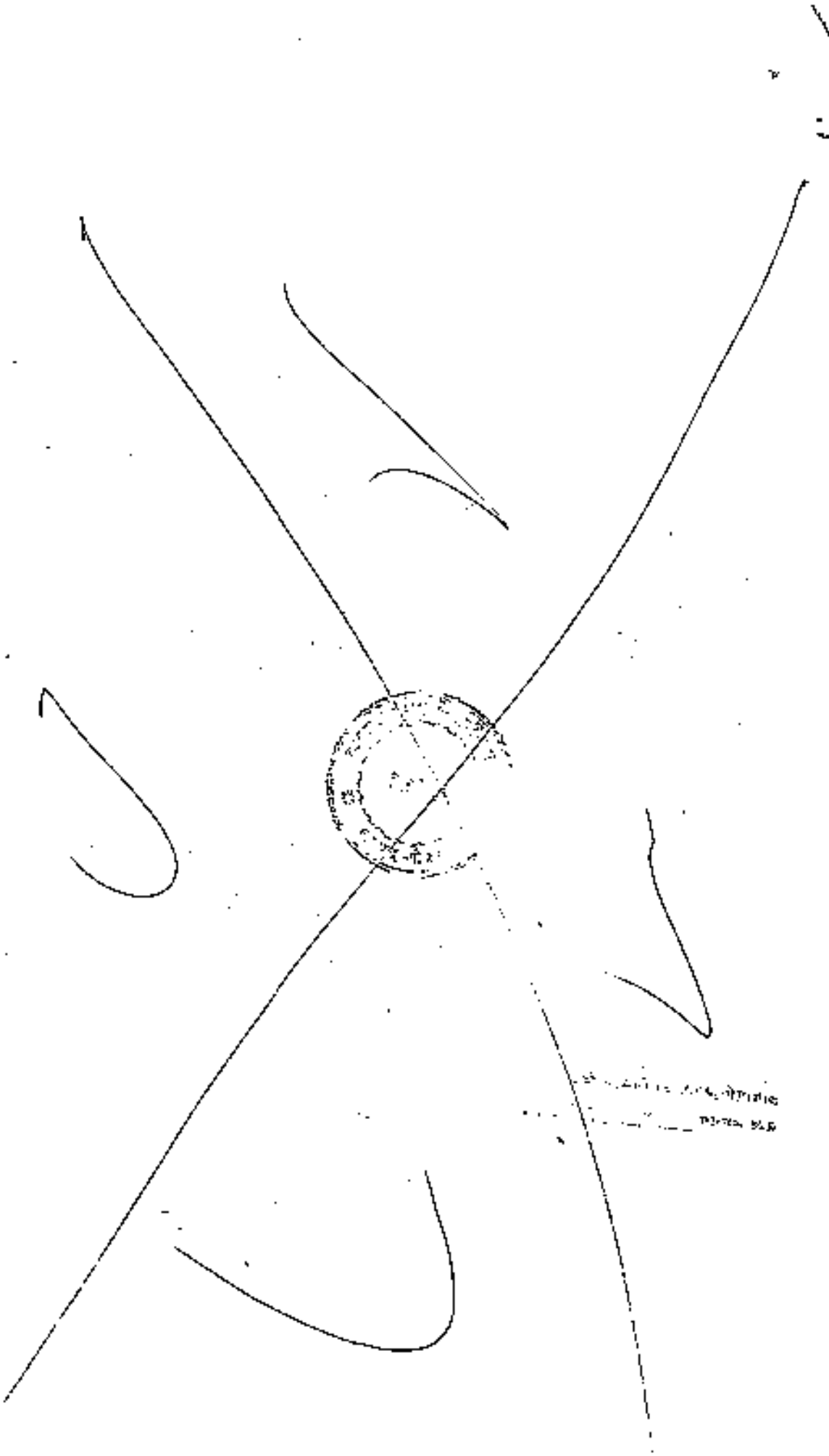

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद।

श्रीराम जानकी बनाम सरकार आदि
धारा 143 ज0वि0अधिनियम
ग्राम अमांवासूफी परगना खण्डासा
तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद।
वाद संख्या 155

आदेश

प्रश्नगत वाद हरिशंकर शुक्ल संरक्षक/संस्थापक श्रीराम जानकी शिक्षा प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है,जिसमें मुख्यरूप से कहा गया है कि प्रार्थी/वादी श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का संरक्षक/संस्थापक है। गाटा संख्या 1913मि0 रकबा 0.321हे0 व गाटा संख्या 1907मि0 रकबा 0.118हे0 व गाटा संख्या 1916मि0 रकबा 0.050हे0 व गाटा संख्या 1793मि0 रकबा 0.013हे0 कुल 4 किता 0.502हे0 स्थित ग्राम अमावासूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का प्रार्थी बतौर संक्रमणीय भूमिधर एवं विवाद रहित है। उक्त भूभाग में कृषि कार्य नहीं किया जाता है और न ही कृषि कार्य के लिये उपयोगी है। उपरोक्त भूभाग में श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय का भवन निर्मित है। अन्त में ग्राम अमावासूफी की गाटा संख्या 1913मि0 रकबा 0.321हे0 व गाटा संख्या 1907मि0 रकबा 0.118हे0 व गाटा संख्या 1916मि0 रकबा 0.060हे0 व गाटा संख्या 1793मि0 रकबा 0.013हे0 कुल 4 किता रकबा 0.502हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद से जांच कराई गयी। तहसीलदार की जांच आख्यानुसार प्रार्थी राम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय रामनगर अमावासूफी फैजाबाद द्वारा संस्थापक/संरक्षक श्री हरिशंकर शुक्ल निवासी ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिस पर महाविद्यालय निर्मित हो चुका है। कृषि कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुई है। वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद निर्विवाद होने की दशा में वादी के उक्त भूभाग को धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतःग्राम अमांवासूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद की गाटा संख्या 1913मि0 रकबा 0.321हे0 व गाटा संख्या 1907मि0 रकबा 0.118हे0 व गाटा संख्या 1916मि0 रकबा 0.050हे0 व गाटा संख्या 1793मि0 रकबा 0.013हे0 कुल 4 किता रकबा 0.502हे0 जो श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी फैजाबाद द्वारा संरक्षक/संस्थापक श्री हरिशंकर शुक्ल निवासी ग्रामवासी के नाम अंकित है को धारा 143 ज0वि0अधिनियम के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक मिल्कीपुर फैजाबाद को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक: 8-5-15

उपजिलाधिकारी
मिल्कीपुर फैजाबाद।

नकल का मिलान किया

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
12.5.17
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर-फैजाबाद

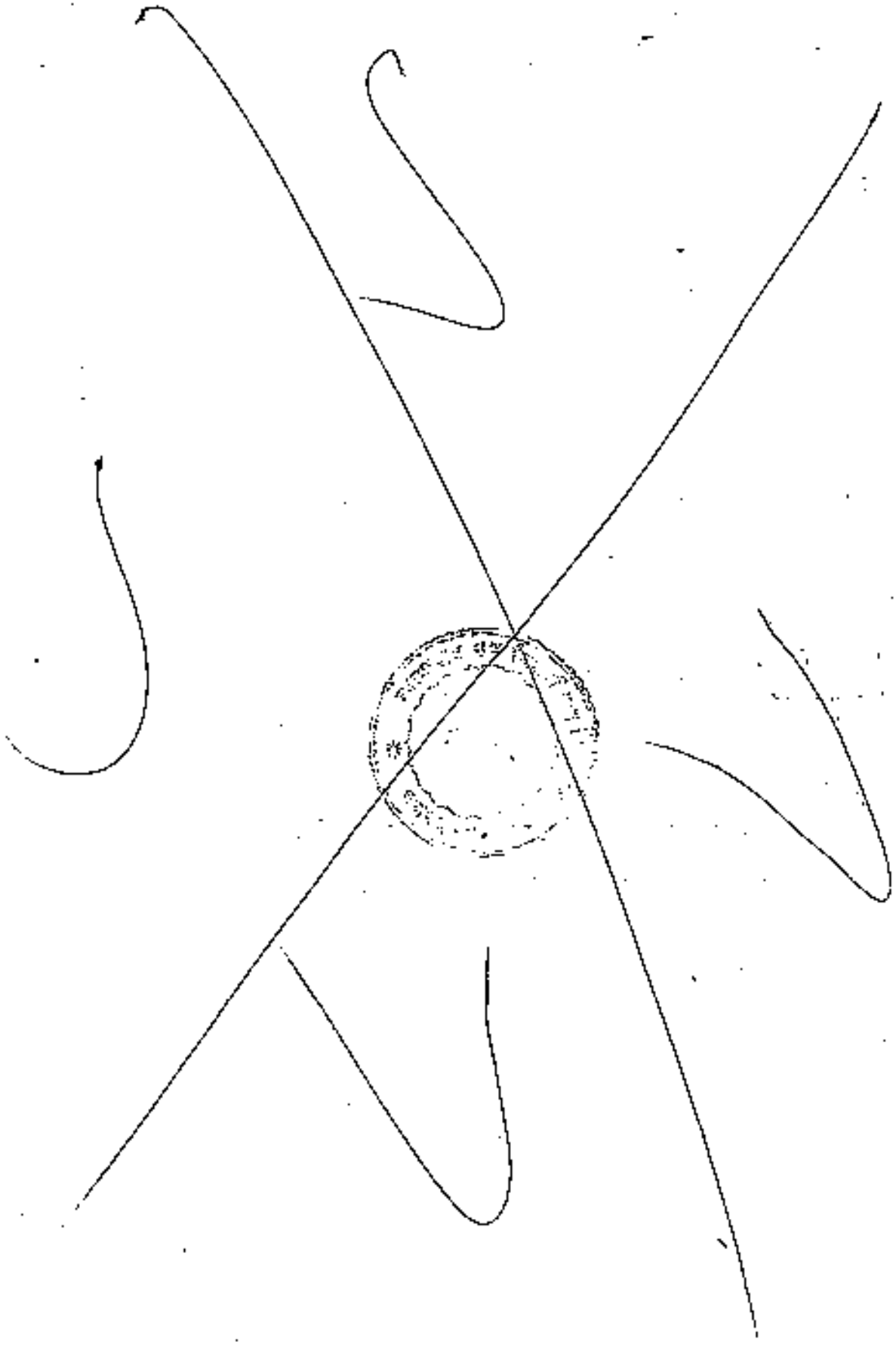

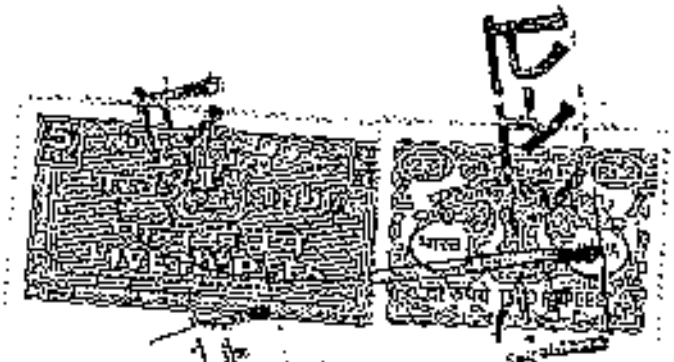

5 / 24
08.5.15

प्रतिलिपि आदेश दिनांक-08.5.2015 ई० द्वारा
पारित न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद
अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधि० वाद संख्या-156 ग्राम-
[illegible] परगना-[illegible] तहसील-मिल्कीपुर
जिला-फैजाबाद उ०प्र० [illegible]
बनाम सरकार [illegible] आदेश दिनांक-08.5.2015 ई०

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर

क्रम संख्या 524
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तारीख 08.5.15
नकल तैयार होने की तारीख 12.5.15
नकल जारी करने की तारीख 14.5.15
प्रतिलिपिकार [illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद

सत्य प्रतिलिपि
प्रतिलिपिक
30-6-15
500(रु)

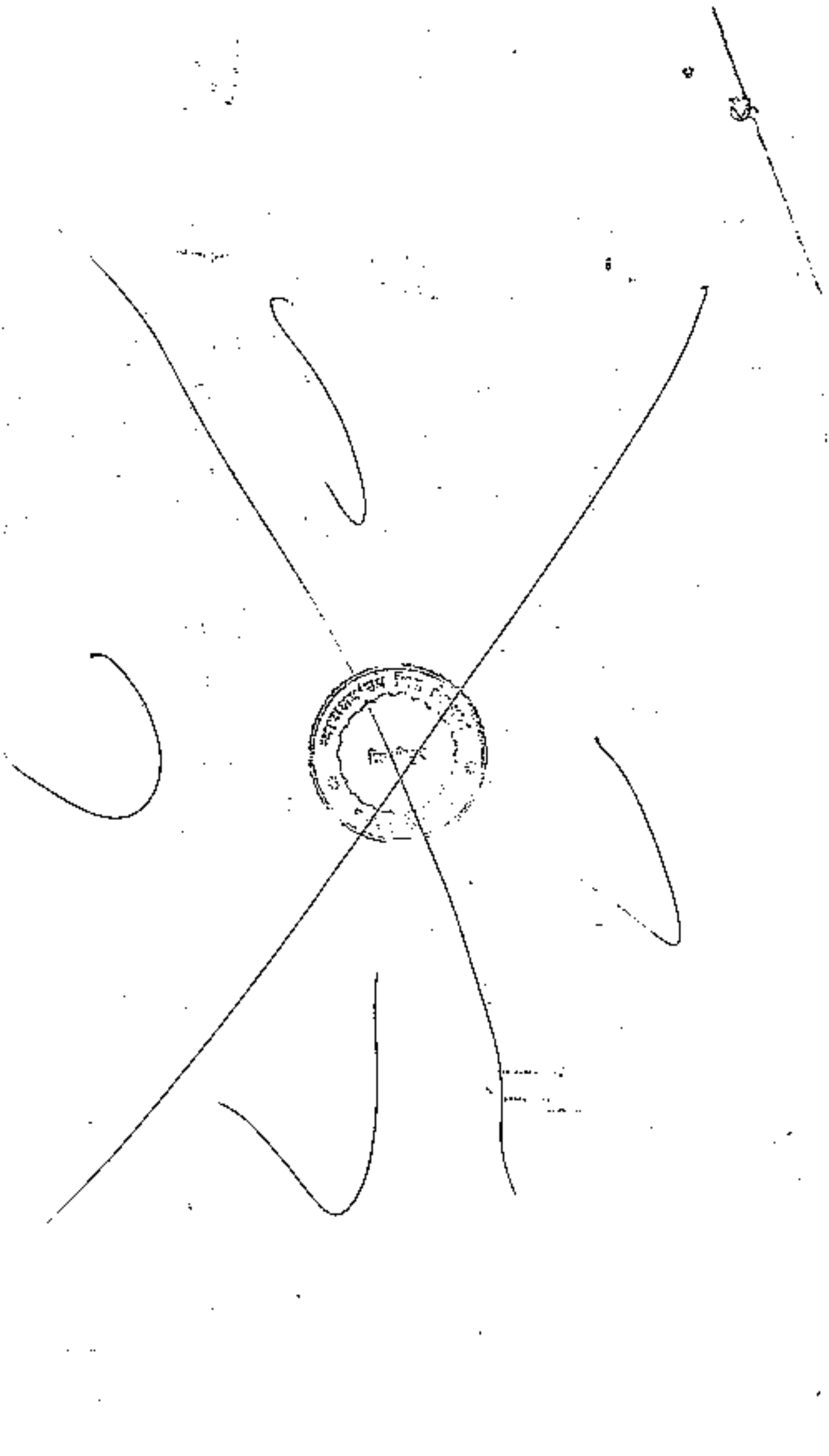

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद।

श्रीराम जानकी बनाम सरकार आदि
धारा 143 ज0वि0अधिनियम
ग्राम अमावांसूफी परगना खण्डासा
तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद।
वाद संख्या 1516

आदेश

प्रस्तुत वाद हरिशंकर शुक्ल संरक्षक/संस्थापक श्रीराम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है.जिसमें मुख्यरूप से कहा गया है कि प्रार्थी/वादी श्रीराम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का संरक्षक/संस्थापक है। गाटा संख्या 1903मि0 रकबा 0.093हे0 व गाटा संख्या 1905मि0 रकबा 0.220हे0 व गाटा संख्या 1906 रकबा 0.048हे0 व गाटा संख्या 1907मि0 रकबा 0.267हे0 व गाटा संख्या 1908 रकबा 0.412हे0 स्थित ग्राम अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का प्रार्थी बतौर संक्रमणीय भूमिधर एवं विवाद रहित है। उक्त भूभाग में कृषि कार्य नहीं किया जाता है और न ही कृषि कार्य के लिये उपयोगी है। उपरोक्त भूभाग में श्रीराम जानकी महाविद्यालय का भवन निर्मित है। अन्त में ग्राम अमावांसूफी की गाटा संख्या 1903मि0 रकबा 0.093हे0 व गाटा संख्या 1905मि0 रकबा 0.220हे0 व गाटा संख्या 1906 रकबा 0.048हे0 व गाटा संख्या 1907मि0 रकबा 0.267हे0 व गाटा संख्या 1908 रकबा 0.412हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है। पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद से जांच कराई गयी। तहसीलदार की जांच आख्यानुसार प्रार्थी राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी फैजाबाद द्वारा संस्थापक/संरक्षक श्री हरिशंकर शुक्ल निवासी ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिस पर महाविद्यालय निर्मित हो चुका है। कृषि कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुई है। वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद निर्विवाद होने की दशा में वादी के उक्त भूभाग को धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः ग्राम अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद की गाटा संख्या 1903मि0 रकबा 0.093हे0 व गाटा संख्या 1905मि0 रकबा 0.220हे0 व गाटा संख्या 1906 रकबा 0.048हे0 व गाटा संख्या 1907मि0 रकबा 0.267हे0 व गाटा संख्या 1908 रकबा 0.412हे0 जो श्रीराम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी फैजाबाद द्वारा संरक्षक/संस्थापक श्री हरिशंकर शुक्ल निवासी ग्रामवासी के नाम अंकित है को धारा 143 ज0वि0अधिनियम के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मिल्कीपुर फैजाबाद को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 8-5-15

उपजिलाधिकारी
मिल्कीपुर फैजाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
12-5-15
रीडर
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर–फैजाबाद

प्रतिलिपि/नकल का मिलान किया
नकल लगाने वाला

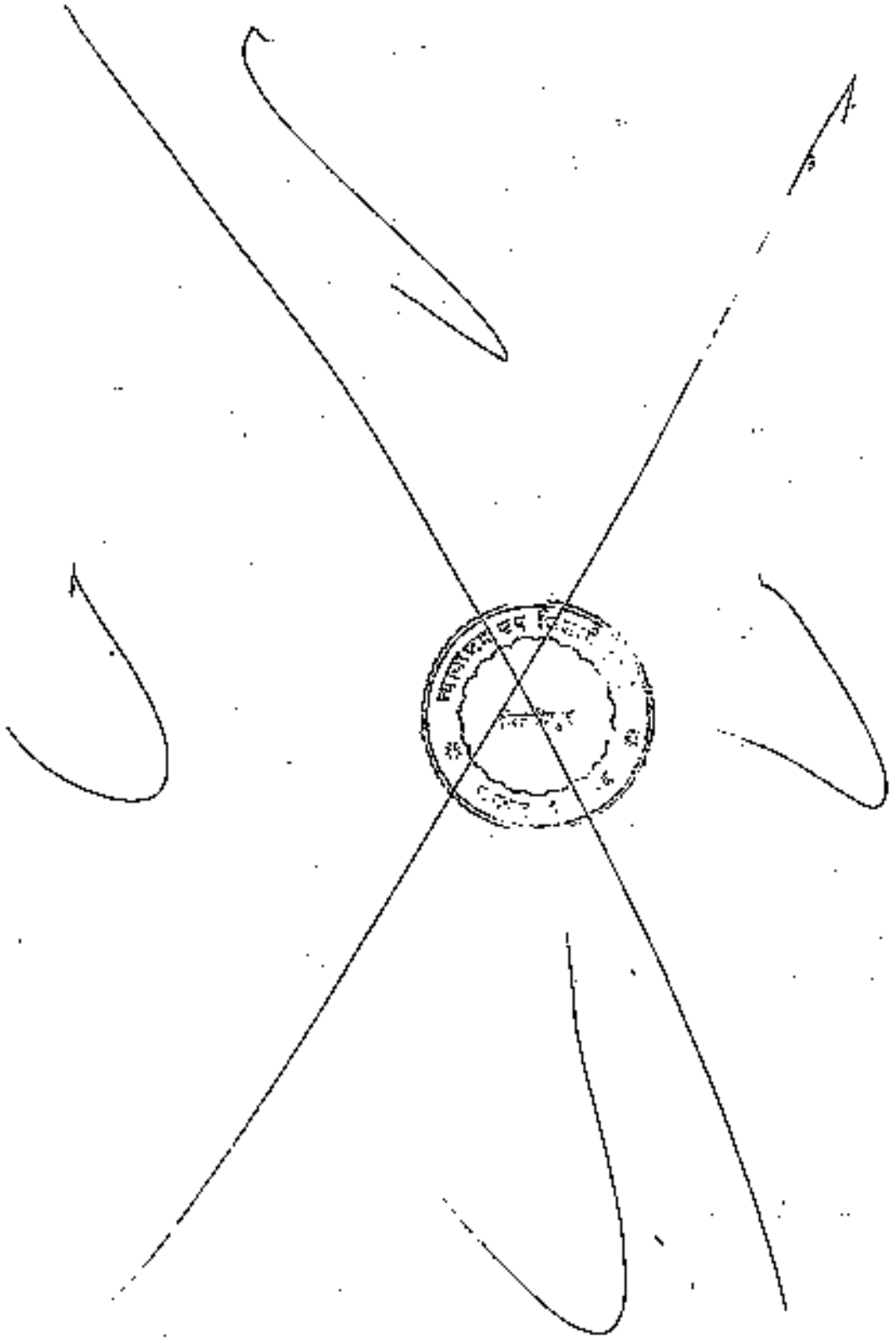

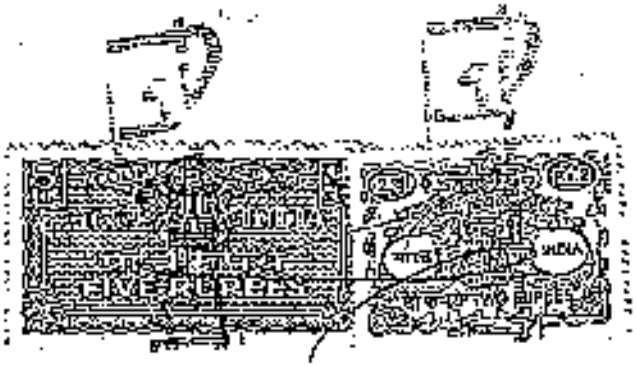

81
20.5.2012

227.00

प्रतिलिपि आदेश दिनांक - 20.5.2012 ई० जो पारित न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद अन्तर्गत धारा 143 ज०वि०अधि० वाद संख्या - 15 ग्राम - [illegible], परगना - [illegible], तहसील मिल्कीपुर जिला - फैजाबाद [illegible] [illegible] महाविद्यालय [illegible] [illegible] फैसला - 20.5.2012 ई०।

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर

क्रम संख्या 81
प्रार्थना पत्र देने की तारीख 20.5.2012
नोटिस [illegible] की तारीख [illegible]
[illegible] 20.5.2012
[illegible] की तारीख 20.5.2012
[illegible]
[illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर

सत्य प्रतिलिपि [illegible]

[illegible] प्रमाणित [illegible]

20.5.12

[illegible]

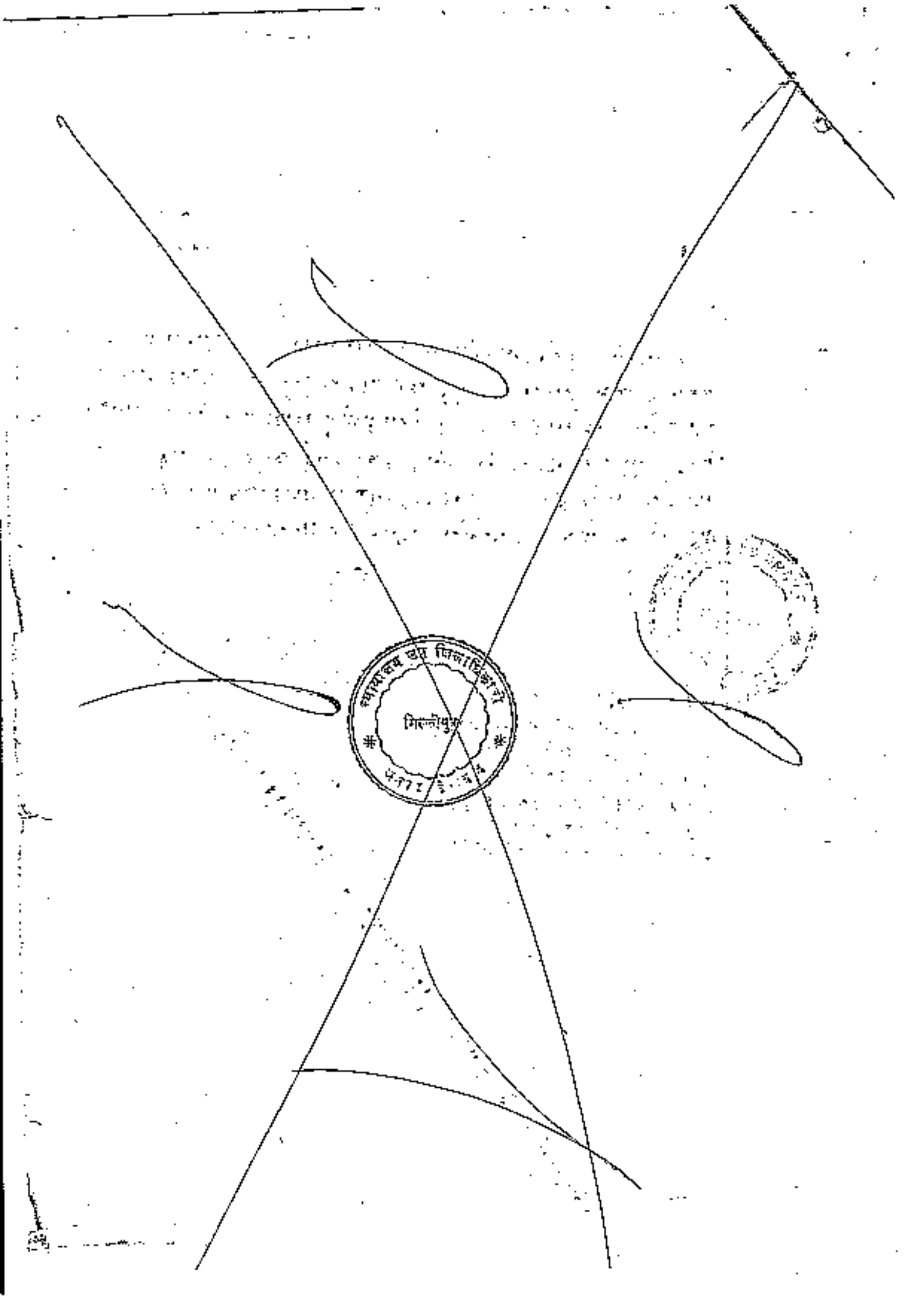

न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, फैजाबाद।

श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय
बनाम
सरकार आदि
धारा-143 ज0वि0अधिनियम
ग्राम-अमावासूफी, परगना-खण्डासा
तहसील-मिल्कीपुर, फैजाबाद
वाद संख्या-15

आदेश

प्रस्तुत वाद श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय अमावासूफी फैजाबाद द्वारा संस्थापक/संरक्षक हरिश्चन्द्र शुक्ला पुत्र भवानी बक्श शुक्ला, निवासी-ग्राम-अमावासूफी, परगना-खण्डासा, तहसील-मिल्कीपुर, फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मुख्यरूप से कहा गया है, कि आराजी नम्बरी गाटा सं0-1913/0.152है0 व 1910/0.101है0 स्थित ग्राम-अमावासूफी का वादी संक्रमणीय भूमिधर है। आराजी नम्बरी गाटा संख्या-1919 रकबा04-08-10 में से रकबा 0.110है0 व गाटा संख्या-1912/01-17-18 में से 0.152है0 कुल 2 किता रकबा 0.252है0 पर विद्यालय बना हुआ है। जिसमें पठन पाठन का कार्य सुचारूरूप से चल रहा है। आराजी नम्बरी पर रकबा 0.252है0 पर लगभग 5-6 वर्षों से कृषि कार्य नहीं हो रहा है। इस कारण उक्त आराजी में से रकबा 0.253है0 को आबादी/अकृषिक घोषित किया जाना न्याय संगत है। अन्त में गाटा संख्या-1913/01-17-18 में से 0.152है0 व गाटा संख्या-1919/04-08-10 में से 0.110है0 कुल 2 किता रकबा 0.252है0 स्थित ग्राम-अमावासूफी को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है। वाद पत्र के साथ नकल खतौनी की नकल दाखिल की गयी है। जिसके सम्बन्ध में तहसीलदार मिल्कीपुर से जांच करायी गयी। नायब तहसीलदार मिल्कीपुर की जांच आख्या दिनांक 18.4.2012 के अनुसार ग्राम-अमावासूफी की खतौनी संख्या-135 की गाटा संख्या-1910मि./0.101है0 व खाता संख्या-516 की गाटा संख्या-1913मि./0.152है0 पर श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय बना है। कृषि से सम्बन्धित कार्य नहीं हो रहा है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। पत्रावली बाद जांच प्राप्त होने पर वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं आयी है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं नायब तहसीलदार की आख्या के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम-अमावासूफी की गाटा संख्या-1910मि./0.101है0 व 1913मि./0.152है0 कुल 2 किता रकबा 0.253है0 पर श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का निर्माण कार्य हो चुका है। वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं हो रहा है इसलिये उक्त भूखण्ड को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

अतः ग्राम-अमावासूफी, परगना-खण्डासा, तहसील-मिल्कीपुर, फैजाबाद की खाता संख्या-135 की गाटा संख्या-1910मि./0.101है0 व खाता संख्या-516 की गाटा संख्या-1913मि./0.152है0 कुल 2 किता रकबा 0.253है0 जो श्रीराम जानकी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय राम नगर अमावासूफी द्वारा संस्थापक/संरक्षक हरिश्चन्द्र पुत्र भवानी बक्श शुक्ला निवासी अमावासूफी के नाम अंकित है, को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबन्धक मिल्कीपुर को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित

उपजिलाधिकारी,
मिल्कीपुर, फैजाबाद।

दिनांक:

प्रतिलिपिकार

रीडर
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर-फैजाबाद

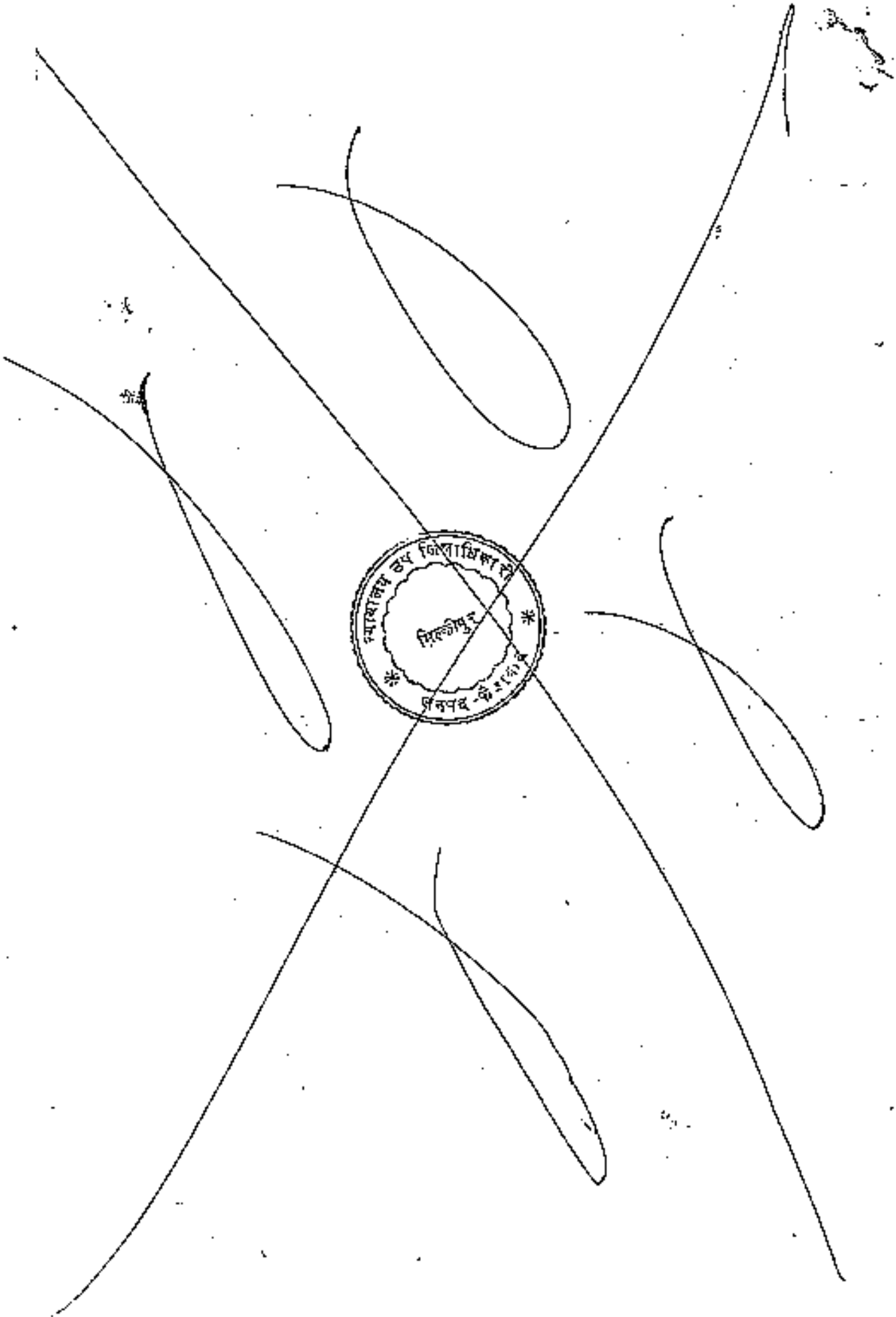

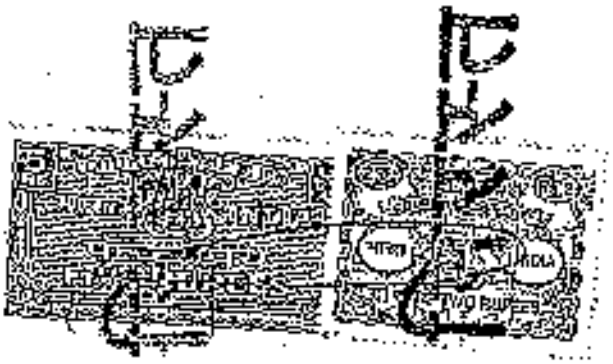

२२७ - ००

प्रतिलिपि आदेश दिनांक - 08.5.2015 ई० जो पारित न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर, फैजाबाद अन्तर्गत धारा 143 ज०वि० अधि० वाद संख्या 54 ग्राम - [illegible] परगना - खण्डासा, तहसील - मिल्कीपुर जिला - फैजाबाद [illegible] बनाम सरकार आदि फैसला दिनांक - 08.5.2015 ई०

न्यायालय उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर जनपद फैजाबाद

प्रार्थना-पत्र देने की तारीख 08.5.15

नोटिस बोर्ड पर नकल तैयारी की सूचना की तारीख [illegible]

नकल जारी करने की तारीख [illegible]

शुल्क [illegible]

नकल जारी करने वाले का हस्ताक्षर [illegible]

नोट - [illegible]

सत्यप्रतिलिपि प्रमाणित।

30.6.15

170

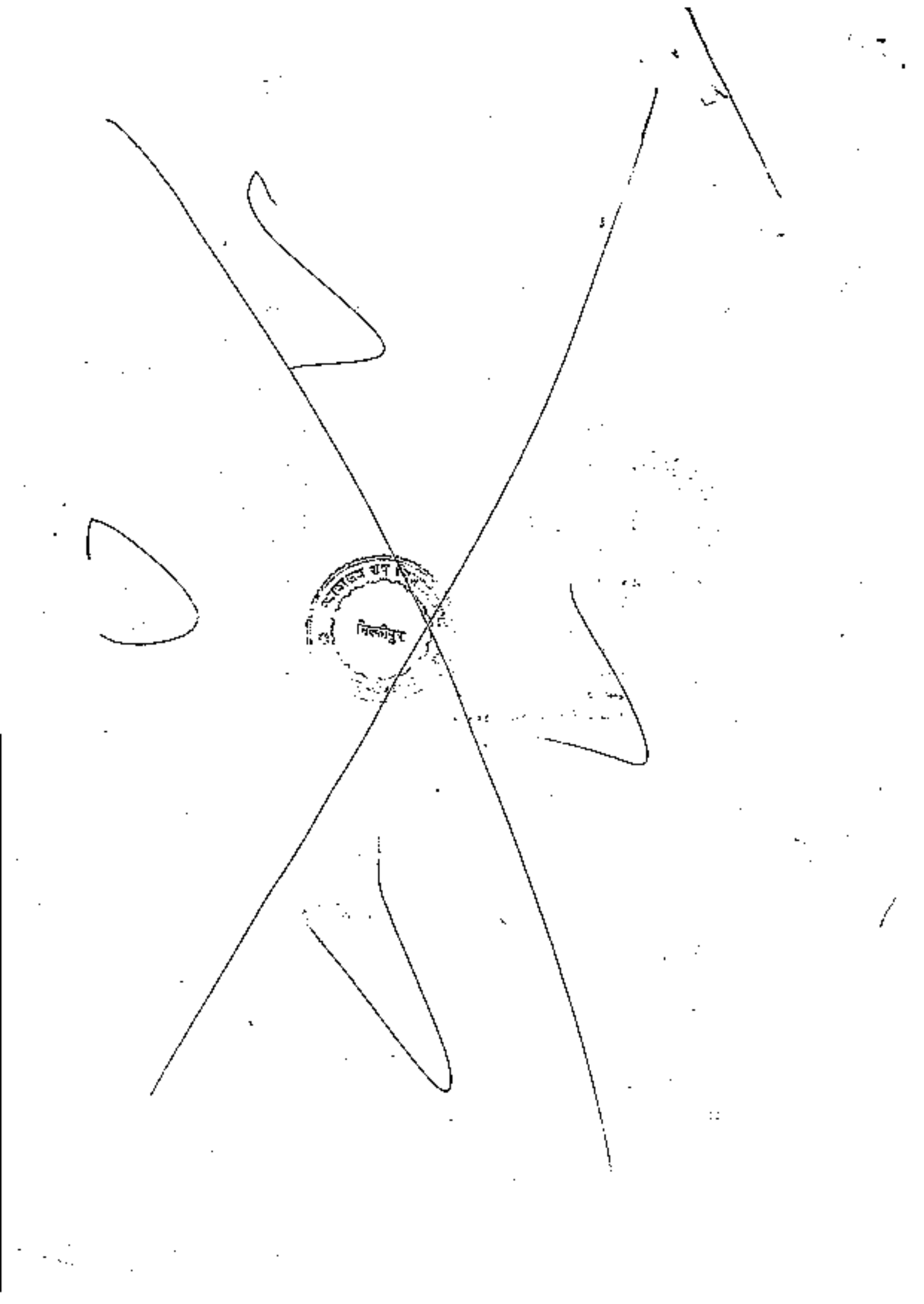

/२९

<u>न्यायालय उपजिलाधिकारी मिल्कीपुर फैजाबाद।</u>

श्रीराम जानकी बनाम सरकार आदि
धारा 143 ज0वि0अधिनियम
ग्राम अमावांसूफी परगना खण्डासा
तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद।
वाद संख्या 154 ।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत वाद हरिशंकर शुक्ल संरक्षक/संस्थापक श्रीराम जानकी शिक्षा प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय रामनगर अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है.जिसमें मुख्यरूप से कहा गया है कि प्रार्थी/वादी श्रीराम जानकी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज रामनगर अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का संरक्षक/संस्थापक है। गाटा संख्या 1905मि0 रकबा 0.253हे0 स्थित ग्राम अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद का प्रार्थी बतौर संक्रमणीय भूमिधर एवं विवाद रहित है। उक्त भूभाग में कृषि कार्य नहीं किया जाता है और न ही कृषि कार्य के लिये उपयोगी है। उपरोक्त भूभाग में श्रीराम जानकी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज का भवन निर्मित है। अन्त में ग्राम अमावांसूफी की गाटा संख्या 1905मि0 रकबा 0.253हे0 को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की याचना की गयी है। पत्रावली प्राप्त होने पर तहसीलदार मिल्कीपुर फैजाबाद से जांच कराई गयी। तहसीलदार की आख्यानुसार प्रार्थी राम जानकी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज रामनगर अमावांसूफी फैजाबाद द्वारा संस्थापक/संरक्षक श्री हरिशंकर शुक्ल निवासी ग्रामवासी के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। जिस पर महाविद्यालय निर्मित हो चुका है। कृषि कार्य नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ज0वि0अधिनियम की धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित किये जाने की आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुई है। वाद दर्ज रजिस्टर करके पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो बाद तामीला संलग्न पत्रावली है। कोई आपत्ति नहीं है। इस वाद निर्विवाद होने की दशा में वादी के उक्त भूभाग को धारा 143 के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतःग्राम अमावांसूफी परगना खण्डासा तहसील मिल्कीपुर फैजाबाद की गाटा संख्या 1905मि0 रकबा 0.253हे0 जो श्रीराम जानकी टीचर्स ट्रेनिंग कालेज रामनगर अमावांसूफी फैजाबाद द्वारा संरक्षक/संस्थापक श्री हरिशंकर शुक्ल निवासी ग्रामवासी के नाम अंकित है को धारा 143 ज0वि0अधिनियम के तहत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक मिल्कीपुर फैजाबाद को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13-5-15

उपजिलाधिकारी
मिल्कीपुर फैजाबाद।

सत्य प्रतिलिपि
प्रमाणित
12-5-17
रीडर
न्यायालय उप जिलाधिकारी
मिल्कीपुर-फैजाबाद